रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062025-263610 CG-DL-E-04062025-263610

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] No. 410] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम (संशोधन), 2025

फा. सं. एन-पी016(11)/2/2023-पीजीएमईबी-एनएमसी/समन्वय.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 25(1), धारा 35 और 57(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023" या "पीजीएमईआर-23" को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित मसौदा विनियम बनाता है, अर्थात्-

- 1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम (संशोधन), 2025" कहा जाएगा।
 - (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3627 GI/2025 (1)

2. विनियम 7.1 के "विभाग" शीर्षक के अंतर्गत "प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक प्रोफेसर होगा" के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा गया है:-

"विभागाध्यक्ष (एचओडी) का पद हर तीन वर्ष में विभाग के उन प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरो, जो प्रोफेसर बनने के योग्य हैं और जिनके पास मेडिकल स्नातकोत्तर की डिग्री हैं, के बीच वरिष्ठता के आधार पर रोटेट किया जाएगा"।

3. विनियमों के अनुलग्नक-7 के भाग ख में "सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए फीडर ब्रॉड स्पेशियलिटी योग्यताएं" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 6, 10 और 15, को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

क्रम सं.	विशेषज्ञता का क्षेत्र	फीडर ब्रॉड स्पेशलिटी अहर्ताएं
6.	एम.सीएच.(तंत्रिका शल्य चिकित्सा)	एम.एस./डीएनबी (सामान्य शल्यचिकित्सा)
		एम.एस./डीएनबी (कर्णनासा कंठ विज्ञान)
		एम.एस. (अभिघात विज्ञान और शल्यचिकित्सा)
10.	एम.सी.एच.(सुघट्य एवं पुनः रचना शल्य चिकित्सा)	एम.एस./डीएनबी (सामान्य शल्यचिकित्सा)
		एम.एस./डीएनबी (कर्णनासा कंठ विज्ञान)
		एम.एस. (अभिघात विज्ञान और शल्यचिकित्सा)
15.	एम.सीएच.(संवहनी सर्जरी)	एम.एस./डीएनबी (सामान्य शल्यचिकित्सा)
		एम.एस. (अभिघात विज्ञान और शल्यचिकित्सा)

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./144/2025-26]

नोट:- प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 01 जनवरी, 2024 को सीजी-डीएल-ई-03012024-251108 के माध्यम से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिसूचना संख्या सीडीएन-19012/5/2023-समन्वय-एनएमसी के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने प्रमुख विनियम यानी पीजीएमईआर-2023 के अंतर्गत "विभाग" शीर्षक के अंतर्गत विनियम 7.1 के अनुलग्नक-7 के भाग-ख के क्रम संख्या 6, 10 और 15 में "सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए फीडर ब्रॉड स्पेशियलिटी योग्यताएं" शीर्षक के अंतर्गत कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं और विनियम 7.1 के अनुलग्नक-7 के भाग-ख के क्रम संख्या 6, 10 और 15 में संशोधन हेतु मसौदा विनियम उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया है। यह मसौदा विनियम, इस सूचना के माध्यम से उन सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही यह सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा विनियम (संशोधन) पर विचार उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात किया जाएगा, जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ, जिनमें ये मसौदा विनियम (संशोधन) सिम्मिलित हैं, सामान्य जन के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (पीजीएमईबी), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, कमरा नंबर 214, द्वितीय तल, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77 को संबोधित किए जा सकते हैं तथा नीचे संलग्न निर्धारित प्रारूप में ई-मेल (pgmer2025amendment@nmc.org.in) के माध्यम से भेजे जा सकते हैं:

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

आपत्तियां और सुझाव **केवल** ऊपर दिए गए ई-मेल आईडी पर भेजे जाएं तथा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों जैसे कि भौतिक रूप से या अन्य तरीकों से भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

मसौदा अधिसूचना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट https://www.nmc.org.in पर उपलब्ध होगा।

सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने का प्रारूप

क्रम सं.	व्यक्ति/संस्था का नाम और पता,	मसौदा अधिसूचना में वह प्रासंगिक खंड, जिस	टिप्पणियां/	तर्काधार	टिप्पणियां
	संपर्क नंबर, ईमेल आईडी	पर टिप्पणियां दी जा रही हैं।	सुझाव		

NATIONAL MEDICAL COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

Post Graduate Medical Education Regulations (Amendment), 2025

- **F. No. N-P016(11)/2/2023-PGMEB-NMC/COORD.**—In exercise of the powers conferred by Section 25(1), Section 35 and 57 (2) of the National Medical Commission Act, 2019, the National Medical Commission hereby makes the following **draft Regulations** to further amend the "Post Graduate Medical Education Regulations, 2023" or "PGMER-23" namely—
- 1. (i) These Regulations may be called the "Post Graduate Medical Education Regulations (Amendment), 2025".
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The following is added in *Regulation 7.1* of the Regulation after, "Each Department will be headed by a Professor", under the heading "Department":-

"The post of the Head of Department (HoD) will be rotated every three-years amongst Professors and Associate Professors who are eligible to become Professor, who holds Medical Post-graduate degree, based on seniority in the Department".

3. Sl. No. 6, 10 and 15 of Part B. in Annexure-7 of the Regulations under the heading "FEEDER BROAD SPECIALITY QUALIFICATIONS FOR SUPER SPECIALITY COURSES" will now read as:-

Sl.No.	Area of Specialization	Feeder Broad Specialty Qualification(s)
6.	M.Ch.(Neurosurgery)	M.S./DNB (General Surgery) M.S./DNB (Otorhinolaryngology) M.S. (Traumatology and Surgery)
10.	M.Ch. (Plastic and Reconstructive surgery)	M.S./DNB (General Surgery) M.S./DNB (Otorhinolaryngology) M.S. (Traumatology and Surgery)
15.	M.Ch. (Vascular Surgery)	M.S./DNB (General Surgery) M.S. (Traumatology and Surgery)

Note:- The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide CG-DL-E-03012024-251108 dated 01st January, 2024 vide NMC Notification No.CDN-19012/5/2023-Coord-NMC.

The National Medical Commission proposes certain amendment to the Regulation 7.1under the heading Department; and Sl. No. 6, 10 and 15 of Part B. in Annexure-7 of the Regulations under the heading "FEEDER BROAD SPECIALITY QUALIFICATIONS FOR SUPER SPECIALITY COURSES" of the Principal Regulation i.e PGMER-2023, the draft Regulation amending the Regulation7.1 of PGMER-2023 and Sl. No. 6, 10 and 15 of Part B in Annexure-7 of the Regulations under the heading "FEEDER BROAD SPECIALITY QUALIFICATIONS FOR SUPER SPECIALITY COURSES" have been prepared and approved by the competent authority following due procedures and is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Regulation (amendment) shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft Regulation (amendment) are made available to public.

Objections and suggestion which may be received from any person within the period specified above will be considered by the National Medical Commission.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Director (PGMEB), NMC, Room No.214, 2nd Floor, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-77 and sent by e-mail at (pgmer2025amendment@nmc.org.in) in the prescribed format attached below:

The objections and suggestions be sent <u>only</u> on the above e-mail ID and objections/suggestions received in any other means i.e physical or through other modes will not be entertained.

The draft notification will be available on National Medical Commission's website https://www.nmc.org.in.

Format for seeking Suggestion/ Comments

Sl	Name & Address of the person /	Relevant Section in the Draft Notification	Comments/	Rationale	Remarks
No.	organization Contact Number, e-	on which comments are being provided.	Suggestions		
	mail ID				
					·